


फर्द अहकाम
(विधम 133)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर हनुमानगढ़

साहिल गोदारा बनाम मदनलाल आदि

अन्तर्गत धारा : धारा 88 आरटीए संख्या : 119 / 2020



09.07.2020 यह बाद पत्र क्रमांक 101 और से श्री हरदीप सिंह नेहरा अधिवक्ता द्वारा अन्तर्गत धारा धारा 88 आरटीए प्रस्तुत किया गया है। सरिस्ता से रिपोर्ट हो चुकी है। बाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.8.2020 को पेश हो।

(कपिल यादव)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवम् पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़।

सत्यमेव जयते

13.07.2020

वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 की और से सुश्री सन्तोष पुनियां अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया शामिल पत्रावली किया। वादीगण एवम् प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो खुले न्यायालय में पढ़ की सुनाये जानें पर उभयपक्ष द्वारा स्वीकार किये जानें पर राजीनामा पर उभयपक्ष के हस्ताक्षर करवाये गये उभयपक्ष की पहचान उनके अधिवक्तागण द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

प्रकरण में किसी प्रकार का प्रतिवाद नहीं होने से बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन बाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाये जानें पर स्वीकार किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाये जानें के उपरान्त शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हो।

(कपिल यादव)

उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
हनुमानगढ़

न्याय के लिये
अन्तर्गत धारा धारा 88 आरटीए
से रिपोर्ट हो चुकी है

साहिल
गोदारा
13-07-2020

सम्मन
उपस्थित

MUN

हनुमानगढ़